



संख्या : /जी0एस0(शिक्षा) / A3-02(Part-II) / 2020

प्रेपक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा,  
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,  
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,  
नैनीताल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय: उत्तराखण्ड  
महोदय,

देहरादून: दिनांक: 14 अक्टूबर, 2021

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्या: 2648 के0य०/सम्बद्धता दिनांक 08 मार्च, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा पाल कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, हल्द्वानी, नैनीताल को बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक सत्र 2020-21 की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलपति की संस्तुति एवं संलग्न अभिलेखों के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उक्त संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के समुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में मा० कुलाधिपति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
I.	पाल कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, हल्द्वानी, नैनीताल।	बी0एड0	100 सीट	सत्र 2020-21

1- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, य०जी०सी० विनियमों व नियामक संस्था के मानकों को पूर्ण करने की दशा में ही सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करे व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

2- विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, कार्यपरिषद् की आवश्यकता व विश्वसनीयता के दृष्टिगत संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व छात्रहित में य०जी०सी०/नियामक संस्था तथा शासन द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेगी।

3- विश्वविद्यालय छात्रहित में यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थान में पुस्तकालय, फर्नीचर एवं प्रयोगशाला मानकानुसार उपलब्ध हों।

4- अग्रेतर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव सत्र दर सत्र के आधार पर सत्रमय मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे।

तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)  
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 2065 (1)/जी0एस0(शिक्षा) / A3-02(Part-II)/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

02. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।

03. प्रबन्धक, पाल कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, आ०टी०ओ० रोड, कुसुमखेड़ा हल्द्वानी, नैनीताल।

04. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

३०/११८

(एन०क० पोखरियाल)  
कुलाधिपति के उपसचिव।